

रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-682 / पॉच-6-13-30सू0/13
लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2013

श्री अशोक कुमार,
अमर माया एन्कलेव,
चौदपुर रोड, बुलन्दशहर।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने
विषयक अपने पत्र दिनांक 06.03.13 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके उक्त पत्र दिनांक 06.03.13 के संदर्भ में अवगत कराना है कि पूर्व में
भी इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने संबंध में कई
प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसका शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारण करते
हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.12.11 एवं 04.01.12 द्वारा संबंधित एवं अन्य
को सूचित किया जा चुका है।

संलग्नक-यथोक्त।

(आर0एम0 परिहार)

अनु सचिव एवं जलसूचना अधिकारी।